राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 21, बुधवार, शाके 1940–अप्रेल 11, 2018

Chaitra 21, Wednesday, Saka 1940-April 11, 2018

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 11, 2018

संख्या प. 2 (22) विधि/2/2018 :–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 अप्रेल, 2018 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 13)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 अप्रेल, 2018 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के विकास और विस्तार के लिए इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के गठन, चिकित्सा की उक्त पद्धति के व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.**- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 2018 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।